

पिछड़ा समाज पार्टी

भारतीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा रजिस्टर्ड
रजि० फा० न० 56/127/2001-J S III/271

मा० कृपाल सिंह सैनी

संस्थापक अध्यक्ष



राजू सैनी "भागीरथवशी"

कार्यकारी अध्यक्ष

पत्राक संख्या 1/AUB/2019

दिनांक 16/08/2019

सेवामें,

श्री संतोष कुमार
UNDER SECRETARY
Room No- 508 C

विषय:- ELECTORAL BONDS के सम्बन्ध में ।

महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 12957/सीईओ-2-15/2-2018
दिनांक 23 मई 2019 के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना चाहता
हूँ कि पिछड़ा समाज पार्टी को ELECTORAL BONDS के माध्यम
से अंशदान शून्य है ।

पिछड़ा समाज पार्टी को ELECTORAL BONDS के माध्यम से
कुछ भी अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है ।



भवदीय Rajiv Saini

राजू सैनी "भागीरथवशी"

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या 12957 सीईओ-2-15/2-2018

दिनांक 23 मई, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष/महासचिव एवं कोषाध्यक्ष

समस्त रजिस्ट्रीकृत मान्यता/अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।

विषय - Submission of details in respect of electoral bonds- Regarding

महोदय

उपर्युक्त विषय पर कृपया भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-76/Transparency//2017/PPEMS/VOL II दिनांक 21 मई 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- भारत निर्वाचन आयोग न सिविल रिट पीटीसन संख्या-333/2015 Association for Democratic Reforms Vs Union of India में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2019 के क्रम में समस्त राजनैतिक दलों को Electoral Bonds के माध्यम से प्राप्त किये गये अशदान से संबंधित विवरण आयोग के पत्र में दिये गये पते "Sh Santosh Kumar, Under Secretary, Room No 508C, Election Commission Of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001" पर बन्द लिफाफे में लिफाफे पर "Confidential -Electoral Bond" अंकित कर दिनांक 30.05.2019 तक आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

कृपया आयोग के पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप वांछित सूचना दिनांक 30.05.2019 तक अनिवार्य रूप से आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या-12957(1)/सीईओओ-2 तददिनांक

प्रतिलिपि अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली के उनके पत्र दिनांक 21.05.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रमेश चन्द्र राय)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।